प्रेस विज्ञप्ति
29.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस), 1985 के तहत साइकोट्रॉपिक पदार्थ के रूप में वर्गीकृत केटामाइन के संगठित गुप्त निर्माण एवं तस्करी से संबंधित जांच के क्रम में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हैदराबाद एवं चेन्नई स्थित विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत केटामाइन का अनधिकृत कब्जा, व्यापार अथवा उपयोग एक गंभीर आपराधिक अपराध है तथा यह पीएमएलए, 2002 के तहत अनुसूचित अपराध का भी भाग है।

यह जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), बेंगलुरु द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर दर्ज ईसीआईआर से प्रारंभ हुई। आधार अपराध 30.04.2019 को बेंगलुरु में जे. कन्नन से 26.75 किलोग्राम केटामाइन की बरामदगी तथा 01.05.2019 को शिवराज उर्स @ महेश उत्तप्पा द्वारा संचालित एक गुप्त प्रयोगशाला से 25.45 किलोग्राम केटामाइन की बरामदगी से संबंधित है। जांच में यह भी पता चला कि कच्चा माल मैसर्स इन्केम लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद के अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) केंद्र से पुट्टा वेंकटेश्वरलु द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि शिवराज उर्स @ महेश उत्तप्पा कथित रूप से बेंगलुरु में स्थापित एक प्रयोगशाला में गुप्त रूप से केटामाइन का निर्माण कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि मैसर्स इन्केम लेबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) प्रभारी पुट्टा वेंकटेश्वरलु ने कथित रूप से शिवराज उर्स को केटामाइन के निर्माण के लिए केटामाइन इंटरमीडिएट/कच्चा माल तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई। उल्लेखनीय है कि इस मामले के आरोपी जे. कन्नन, शिवराज उर्स @ महेश उत्तप्पा तथा पुट्टा वेंकटेश्वरलु आदतन अपराधी हैं तथा पूर्व में भी केटामाइन के अवैध निर्माण/बिक्री/परिवहन से संबंधित प्रक्रिया/गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं।

जांच में आगे यह भी पता चला कि केटामाइन के अवैध निर्माण एवं बिक्री से अर्जित अपराध की आय कथित रूप से नकद एवं हवाला माध्यमों से प्राप्त की गई तथा उसका उपयोग चल एवं अचल संपत्तियों के अर्जन, कंपनियों/फर्मों में निवेश तथा व्यक्तिगत व्यय के लिए किया गया।

तलाशी अभियान के दौरान 82.82 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा एवं 18,000 अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा के साथ-साथ विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन, वित्तीय अभिलेख, व्यावसायिक अभिलेख, संपत्ति संबंधी दस्तावेज तथा अपराध की आय से संबंधित अन्य साक्ष्य बरामद एवं जब्त किए गए।

आगे की जांच जारी है।